

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12905 / 4283

दिनांक :- 16.09.19

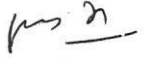
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सुशीला बिश्रोई [लिंक न. 12905] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, बागोड़ा, जालौर - [24494] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 31/07/2017 से 04/08/2017 तक 5 दिवस (निम्नलिखित उक्त पत्र के आधार पर)

कुल 5 दिवस

उक्त कुल 5 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सुशीला बिश्रोई की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12905 / 4283

दिनांक :- 16.09.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार, राजस्व विभाग, बागोड़ा, जालौर
2. कोषाधिकारी जालौर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सुशीला बिश्रोई [12905] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार, राजस्व विभाग, बागोड़ा, जालौर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)